संख्याः 24/2021/ 660ई-2/तेरह-2021-131/2017

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 17 मार्च, 2021**

विषयः- मेसर्स डी.सी.एम. श्रीराम लि.,डिस्टिलरी यूनिट अजबापुर, जनपद लखीमपुर खीरी को बी-हैवी शीरे से अल्कोहल उत्पादन किये जाने के कारण अधिष्ठापित क्षमता में अंतरिम रूप से 24.44 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः जी:95/दो-प्रा.डी.-30 दिनांक 06 मार्च, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 06 मार्च, 2021 द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मेसर्स डी.सी.एम. श्रीराम लि., डिस्टिलरी यूनिट-अजबापुर, जनपद लखीमपुर खीरी को स्वीकृत अधिष्ठापित क्षमता 765 लाख लीटर वार्षिक के अतिरिक्त अंतरिम रूप से 24.44 प्रतिशत अर्थात 187 लाख ब.ली. एथनॉल का उत्पादन बी-हैवी शीरे से किये जाने की अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवक द्वारा बढ़ी हुयी क्षमता पर नियमानुसार तत्काल अनुज्ञापन शुल्क जमा किया जाएगा तथा आसवनी में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कन्सेन्ट दिनांक 01-12-2020 के अंतर्गत लगाई गई शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उत्पादन कार्य किया जाएगा। आसवनी में बी-हैवी शीरे के उपभोग समाप्त होने पर सी-हैवी शीरे से अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु आसवनी के सहायक आबकारी आयुक्त से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। उक्त के अतिरिक्त इकाई को सी.पी.सी.बी./यू.पी.सी.बी. के मानकों के अनुसार आसवनी में शून्य उत्प्रवाह को सुनिश्चित करते हुए केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा स्थापित/विद्यमान समस्त विधियों/सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in